

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
78/23	88, 89, 91, 188 RTA	छबड़ा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
भारतसिंह वगै.	बनाम	भोलाराम वगै.	

वकील :- कृष्ण गोपाल भार्गव **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
06/07/23	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आरटीए विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक5-10-23... को पेश हो। <i>[Signature]</i>	
5-10-23	पत्रावली पेश की वकील करी उक्त जारी करी गण के लक्षण वाद लक्षण जस वाक्य इस लक्षण के न्याया- के उक्त नदी के इनके विरुद्ध एक गण कार्यवाही की जावे के पत्रावली वादि साक्ष्य करी दिनांक 3-11-23 को पेश हो। <i>[Signature]</i>	
3-11-23	आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में बसव होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 5-10-23 को पेश हो। <i>[Signature]</i> रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
5-1-24	आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में बसव होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28-2-24 को पेश हो। <i>[Signature]</i> रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
28-2-24	आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में बसव होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16-4-24 को पेश हो। <i>[Signature]</i> रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपर। शास्त्रवारी उपर।
 उपर वारी की सामग्री माहौल की वारी के कार्य अवगत
 दिने जा चुके की माहौल के एक अधिक अवगत
 और दिया गया की आगत। सामग्री वारी पेश नहीं
 कहे पर शास्त्र वारी बड कर ही जावेगी। पत्रावली
 वारी शास्त्र वारी दिनांक 15-10-24 को पेश हो।

✍

5-10-24

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपर। शास्त्रवारी उपर
 वारी है। वकील माहौल है। वकील के कार्य अवगत दिने जा
 चुके हैं। वकील वारी शास्त्रवारी पेश नहीं लिपे।
 व्यापकित के अतिरिक्त अवसर एड और दिया जाता है।
 आपन्या कोई मौका नहीं दिया जावेगा। शास्त्रवारी
 बड कर दिया जावेगी। पत्रावली वारी शास्त्रवारी
 दिनांक 29.10.24 को पेश हो।

✍

29.10.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी एवं स्वयं वारीगण
 व्यापकित के उपस्थित नहीं हैं। व्यापकित के फल सफ
 कर तीन बार आवाज लगाई गई। व्यापकित आपन्याही
 स्थिति होने तक इंतजार किया गया। वकील वारी
 एवं स्वयं वारीगण के के कोई उपस्थित नहीं हुए।
 प्रकरण अडम हाजरी एवं अडम पेशी के खारिज
 किया जाता है। पत्रावली दिनांक अडम होकर राखित
 पत्र हो।

✍